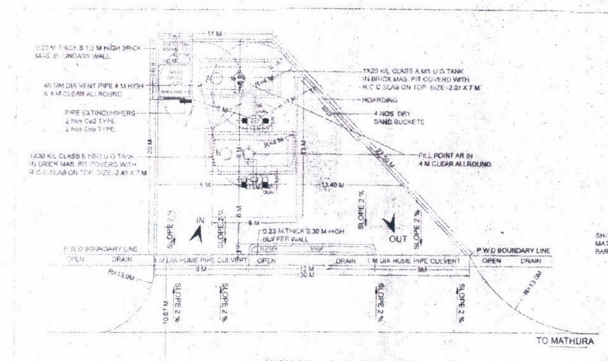

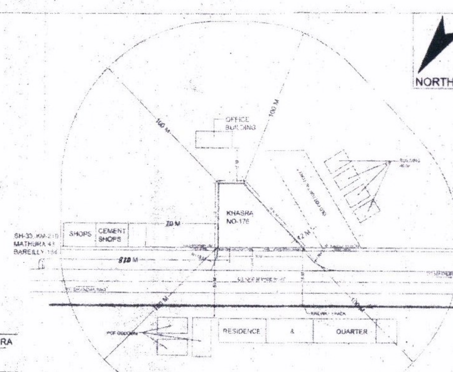

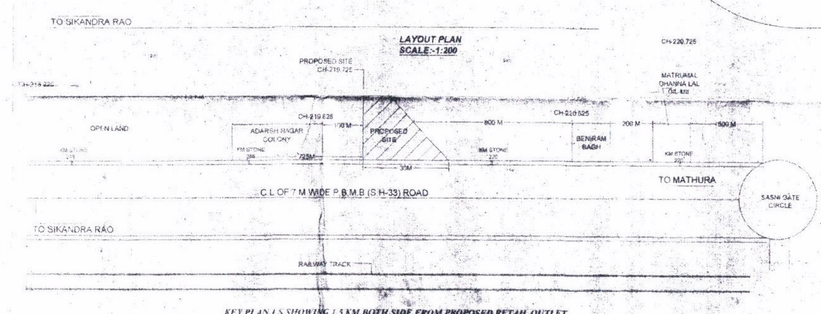

SITE DETAILS	
KHASRA NO	154 SA & 176
VILLAGE	HATHRAS DEHAT
TEHSIL	HATHRAS
POST OFFICE	HATHRAS
PIN CODE	204101
POLICE STN	HATHRAS GATE
RAILWAY STN	HATHRAS CITY
DISTRICT	HATHRAS
STATE	U.P

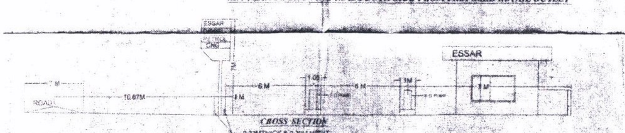

AREA CHART	
TOTAL AREA OF PLOT	400.00 SQM
TOTAL AREA OF BUILDING	19.41 SQM

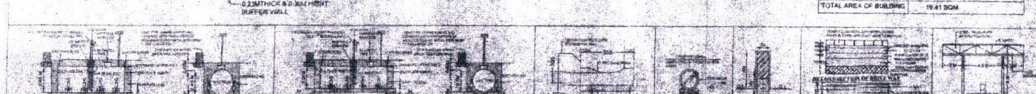

अधोहस्ताक्षरी
(1) प्रस्तावित निर्माण ... 220 से 219.916 किमी पर मार्ग के बायीं ओर है।
(2) प्रस्तावित निर्माण नगर पालिका सीमा के अंदर है।
(3) प्रस्तावित स्थल ... में नहीं है।
(4) मार्ग के मध्य बिन्दु से ... की दूरी — 19.67 मी० है।
मार्ग के मध्य बिन्दु से ... की दूरी — 25.67 मी० है।

[illegible]

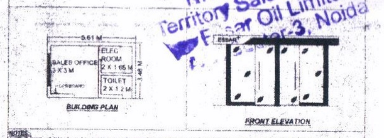

NOTES:-

1. VENT PIPE 4.0 M CLEAR ALLROUND FITTED WITH TWO LAYER OF NON CORRODABLE WIRE GUAGE OF 11 MESH/LINER CM SQUARE.
2. FILL POINT FITTED WITH CAMLOCK COUPLING & AIR TIGHT THREADED BRASS CAP DECANTING FROM TANK LORRY
3. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY
4. ALL ELECTRIC ARE FLAMPROOF CONFORING TO IS 2148
5. ALL THE DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITH IN 6 MTR FORM U.G TANK & D.U.S
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS
8. TANK ARE PAINTED WITH TWO LAYER OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LID PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION
9. FEBRICATION OF U.G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS 10987 1992 AS PER CCOE NAGPUR ORDER NO G-4(6)SC(PMSC 24 DATED 24-02-1999
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS
11. SB= SAND BUCKETS 10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES
12. FE= FIRE EXTINGUISHER'S 10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRULIC PRESSURETEST TO BEFORE INSTALLATION AND BEFORE ANY PEROTECTIVE COATING IS APPLIED THE TEST SHOULD BE MENTION AS A CONTROLL PRESSURE OF 0.35 KG/CM2 FOR TWO HOURS
14. DIP ROAD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG
15. [illegible]
16. [illegible]
17. ALL LIGHT POLES FITTED AS PER APPROVELS OF CCOE NAGPUR VIDE LETTER NO PLR-MR-1 DATED 25.11.03
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MENTION FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN
19. SITE MEETS APPLICABLE AS PER IRC NORMS 1983 WITH LATEST AMMENDMENTS
20. E.V= EXTENDED VENT PIPE
21. E.F= EXTENDED FILL POINT
22. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING OVER THE SITE
23. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO MCASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW
24. ALL NECESSARY APPROVALS FROM CONCERN DEPARTMENT TO BE OBTAINED.

Name Of Ro:-

ESSAR ENERGY **Essar Oil Limited**

LOCATION:-

SUBJECT:- LAYOUT & SITE PLAN OF PROPOSED RETAIL OUTLET ON PILIBHIT-BAREILLY-MATHURA-BHARATPUR (SH-33) ROAD, AT KHASRA NO 154 SA & 176, VILLAGE HATHRAS DEHAT, TEHSIL HATHRAS, DISTRICT HATHRAS, STATE UTTAR PRADESH

REG. NO. -UP-IP-1531

DATE | REVISION

Scale:-As Shown Above

NITIN JAISWAL
Territory Sales Manager
Essar Oil Limited
Sector-3, Noida

Essar Oil Limited
A-5, Sector - 3
Noida 201301 (UP.)
India

T +91 120 667 0900
F +91 120 667 0990, 253 3922
www.essar.com

Further it is requested to acknowledge the receipt / transaction detail of amount transferred through R T G S / N E F T and intimate the same to Nodal Office . Lucknow and C C , Camp office . Lucknow so that we can pursue for the final approval.

Thanking you

8/09/2015

Nitin Jaiswal

Territory Sales Manager

Essar Oil Ltd.

मानक शर्तें:–

(वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 7314/14–3–1980/02 दिनांक 31.12.84 द्वारा निर्धारित)

- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और व पूर्व की भाँति सुरक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचॉयेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निधारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखदेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- बहुमूल्य वन सम्पना से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर कर भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उसपर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

NITIN JAISWAL
Territory Sales Manager
Essar Oil Limited
Sector-3, Noida

- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुलय वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निबंद्ध है। इसी प्रकरण बॉज ( ) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण पर ही हो सकेगा।
- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- यदि नहर आदि निमार्ण से भू–रक्षण की सम्भावना हाती है, और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
- ऊपरलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
- वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका सूचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं एस्सार ऑयल लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि एस्सार ऑयल लिमिटेड को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य है तथा उसका अनुपालन किया जायेगा।

Territory Sales Manager
Essar Oil Limited
A-5, Sector-3, Noida

—: वचनबद्वता :—

भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2010 में उल्लेखित शर्त के अनुसार प्रवे्/निकासी के मध्य संरक्षित वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर छोटे पौधे/शोभाकार पौधों का रोपण एवं उनका रखरखाव करके वन भूमि को विकसित किये जाने हेतु वचनबद्व है।

JAISWAL
Sales Manager
Essar Oil Limited
A-5, Sector-3, Noida

<u>प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी वचनबद्वता</u>

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्वता के रूप में एस्सार ऑयल लिमिटेड सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार या राज्य सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

JAISWAL
Sales Manag
Essar Oil Limitd
Sector-3, Noida

प्रस्तावित वनभूमि का शुद्व वर्तमान मूल्य जमा किये जाने का वचनबद्वता

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग एस0एच0 33 कि0मी0 स्टोन 219–220 वांयी पटरी पर खसरा सं0 176 ग्राम मौजा हाथरस देहात तहसील हाथरस पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु (आवागमन मार्ग के लिए) आपेक्षिंत संरक्षित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वनभूमि का शुद्व वर्तमान मूल्य जो भी वन विभाग/सक्षम स्तर से निर्धारित किया जायेगा, उसका भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उक्त क्रम में समय–समय पर संशोधन होने पर एस्सार ऑयल लिमिटेड अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु वचनबद्व है।

NITIN JAISWAL
...tory Sales Manager
Essar Oil Limited
...S...ctor-3, Noida

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग एस0एच0 33 कि0मी0 स्टोन 219–220 वायीं पटरी पर खसरा सं0 176 ग्राम मौजा हाथरस देहात तहसील हाथरस पर रिटेल आउटलेट का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रतिष्ठान के आवागमन के लिए हाथरस वन प्रभाग की 0.0277 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, जो कि न्यूनतम है और उक्त प्रतिष्ठान को क्रियान्वयन करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

N JAISWAL
Sales Manager
Essar Oil Limited
A-5, Sector-3, Noida

अनुबन्ध पत्र

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पीलीभीत–भरतपुर मार्ग एस0एच0 33 कि0मी0 स्टोन 219–220 वायीं पटरी पर खसरा सं0 176 वायीं पटरी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का स्थापना में भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोगार्थ जो भी नियम व शर्तें है, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा तथा स्वीकृति के उपरान्त ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

N JAISWAL
Sales Manager
Essar Oil Limited
A-5, Sector-3, Noida